सीताराम बनाम ओमप्रकाश

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील |
|---|---|---|
| 13/11/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. / पत्रावली वास्ते पूर्ववत कार्यवाही आदेशिका दिनांक 22/01/2025 की पालना में दिनांक 01/01/2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर | |
| | आज PO सा. के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त / राजकार्य से दौरे / अवकाश / स्थानान्तरण कारण पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु उनके समक्ष दिनांक 23.02.26 को पेश हो। रीडर न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर | |
| 3/2/26 | वकील वादी उप. वादी / प्रार्थी के प्रार्थना पत्र वादे प्रकरण की पत्रावली दिनांक 23/2/26 से तलब कर प्रकरण को नोटअप करने बाबत पर पत्रावली हाजिर तलब करने पर आज पेश हुई। वकील वादी के निवेदन पर उन्हें प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई। वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में वादी / प्रार्थी का आपसी सकझाईश से राजीनामा हो गया है तथा प्रकरण में अब कोई विवाद शेष नहीं है। वादी / प्रार्थी इस प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से राजीनामे के आधार पर करना चाहता है तथा स्वयं के खर्चे पर नोटअप कर प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहता है व आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वाद को इसी स्तर पर आदि नोटअप खारिज किए जाने के आदेश पारित किए जावें। अपने कथनों की पुष्टि में वादी ने आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किए। वादी को उनके अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जांगिड़ ने पहचान कर आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किए। इन प्रार्थना-पत्र के निवेदित कथनों / तथ्यों व सुनवाई के दौरान कथित कथनों / तथ्यों पर मनन किया। यदि वादी / प्रार्थी का लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, अब वाद में किसी असंतोष की आशंका नहीं होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद आदि नोटअप खारिज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र की फैसलशुदा पत्रावली फैसल शुमार रोड रजिस्टर से कम हो। | सीताराम Identify by me ओमप्रकाश जांगिड़, एड. |

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर